Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 1-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 2, 2018 (PAUSA 12, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

संख्या 1/73/2017–1पी0पी0.– हरियाणा के राज्यपाल हिन्दी आंदोलन–1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और यदि उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनके पति/पत्नी को ₹10,000 मासिक पैंशन योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं जिनके संघर्षों एवं बलिदानों के कारण हरियाणा राज्य भारत के नक्शे पर अलग राज्य के रूप में उभरा। इस योजना के निम्नलिखित योग्यता मापदंड, नियम व शर्तें लागू होंगे।

(क) योग्यता मापदंड

(1) वर्ष 1957 में तत्कालीन पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों ने मातृभाषा के सम्मान, बढ़ावा देने तथा उसे लागू करने के लिए एक आन्दोलन चलाया। इस आन्दोलन ने हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस सत्याग्रह के दौरान जिला रोहतक के नया बांस गांव के निवासी श्री सुमेर सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान तक दिया।

(2) इन मातृभाषा सत्याग्रहियों की पहचान का कार्य प्रदेश के सभी जिलों में सम्बन्धित जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा शुरू किया गया। जिला उपायुक्तों ने कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मातृभाषा सत्याग्रहिंयों का प्रमाणिक रिकॉर्ड जेलों से सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से प्राप्त किया। प्रदेश सरकार पूर्व में ही 194 प्रमाणित मातृभाषा सत्याग्रहियों को सम्मानित कर चुकी है।

(ख) नियम एवं शर्तें

(i) लाभार्थी सत्याग्रहियों को किसी भी राष्ट्रीय बैंक में आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा ताकि पैंशन की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा सके और साथ ही प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में उन्हें इस आशय का जीवंत प्रमाण पत्र देना होगा जैसाकि अन्य पैंशनधारकों के लिए जरूरी है।

(ii) यदि सत्याग्रही किसी भी तरह की पैंशन या मानदेय किसी अन्य राज्य से भी प्राप्त कर रहा है तो वह भी इस योजना में योग्य होगा। यद्यपि, कोई सत्याग्रही अगर इसी योजना में किसी अन्य राज्य से ₹10,000 से कम पैंशन ले रहा होगा तो पैंशनधारक की पैंशन में से उक्त राशि उसी अनुपात में घटा दी जाएगी।

(iii) सभी जिलों में सम्बन्धित जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई गई समिति नए प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करेगी और निरीक्षण उपरान्त अपनी संस्तूति राज्य सरकार को भेजेगी जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के प्रशासकीय सचिव उपरोक्त योजना के तहत स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

(v) इस योजना पर आने वाला खर्च विभाग के प्रशासकीय सचिव की स्वीकृति के पश्चात सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा वहन किया जाएगा। पैंशन की राशि सीधे लाभार्थी सत्याग्रहियों के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।

(vi) किसी भी सत्याग्रही की मृत्यु के बाद मासिक पैंशन जारी रहेगी और यह पैंशन सत्याग्रही की जीवित पति/पत्नि तक दी जाएगी।

राजेश खुल्लर,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION, PUBLIC RELATIONS & LANGUAGES DEPARTMENT

Notification

The 12th December, 2017

No. 1/73/2017-1PP.— The Governor of Haryana is pleased to approve the following scheme for providing monthly pension of Rs.10,000/- to the Matribhasha Satyagrahis of Hindi Aandolan-1957 due to whose struggle and sacrifices Haryana came up as a separate State on the map of India. In case, a Satyagrahi has already passed away, the monthly pension will be given to his/her surviving spouse.

The following will be eligibility criteria and terms and conditions of the scheme :

(A) Eligibility Criteria :

(1) In the year 1957 a number of people of Hindi speaking parts of erstwhile Punjab launched a crusade for the honour, promotion and implementation of their mother tongue. This movement helped a lot in creation of Haryana as a separate State. During this Satyagrah, Sh. Sumer Singh, a resident of village Naya Bans, District Rohtak even lost his life.

(2) These Matribhasha Satyagrahis were identified by constituting committees in all the districts of the State under the Chairmanship of respective Deputy Commissioners concerned. The Deputy Commissioners, being the chairpersons of the committee, had got the record of Matribhasha Satyagrahis verified from the concerned Superintendents of Police by checking/verifying their record from the jails. The State Government has already honoured 194 Matribhasha Satyagrahis so identified.

(B) Terms & Conditions :

(i) The beneficiary Satyagrahis will have to open an Aadhar linked savings bank account in any nationalized bank for transferring the amount of their bank accounts and have to give a live-certificate in the month of January every year, as being followed in the case of other pensioners.

(ii) A Satyagrahi, getting pension or honorarium of any kind from any other State Government will also be eligible. However, if an otherwise eligible Satyagrahi is getting pension from any other

State Government for the same purpose of an amount less than 10,000/- per month, the entitlement of pension under this scheme would be reduced by that amount.

(iii) The Committees, already constituted under the Chairmanship of respective Deputy Commissioners of all the districts, will examine fresh applications, as and when receive, and send their recommendations to the State Government whose decision shall be final.

(iv) The Administrative Secretary of Information, Public Relations & Languages Department, Haryana will be competent to accord sanctions under this scheme.

(v) The expenditure under this scheme will be borne by the Information, Public Relations & Languages Department, Haryana. After sanction by the Administrative Secretary of this department, the amount of pension will be deposited in the bank account of beneficiary Satyagrahi.

(vi) In case of demise of any of the Satyagrahi, the monthly pension will continue to be given to his/her surviving spouse.

RAJESH KHULLAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Information, Public Relations & Languages Department.

55884—C.S.—H.G.P., Chd.